जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
80/2016

A3

मुन्तकिली प्रकरण सं0 80/2016 अनवानी श्री दयाराम पुत्र श्री हुक्माराम जाति नायक निवासी बींझवायला तहसील पदमपुर बनाम 1—गोपीराम 2—कृष्णलाल पि0 राउराम जाति कुम्हार नि0 बींझवायला तहसील पदमपुर 3—मीरादेवी विधवा हरचंद 4—भगतराम 5—राजेश पि0 हरचन्द 6—कमला पुत्री हरचंद 7—रोशनी पुत्री हरचंद 8—फूलवन्ती पुत्री हरचन्द समस्त जाति कुम्हार नि0 बींझवायला तह0 पदमपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2016

प्रार्थी श्री दयाराम के अभिभाषक श्री अजायब सिंह ग्रेवाल उपस्थित है। अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। दोनो पक्षो के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 236/2003 अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर में लम्बित प्रकरण संख्या 236/2003 अन्तर्गत धारा 8(2) कोलोनाईजेशन एक्ट में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है चूंकि उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है और वे कार्यमुक्त हो गये है। इसलिए अब यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, पदमपुर को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 22.11.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर